बिहार सरकार
उद्योग विभाग

## संकल्प

**राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर रू0 25,000.00 करोड़ (रू0 पच्चीस हजार करोड़) का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य में निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, जो मजबूत वित्तीय प्रतिफल के साथ–साथ व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता रखता है। "समृद्ध उद्योग - सशक्त बिहार" के लक्ष्य पर आधारित सात निश्चय–3.0 के दूरदर्शी दृष्टिकोण के अंतर्गत बिहार ने औद्योगिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश किया है। राज्य सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC), क्षेत्र–विशिष्ट औद्योगिक पार्क, मेगा फूड पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) जैसी अत्याधुनिक औद्योगिक अवसंरचनाओं के विकास के माध्यम से राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

2. इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा रही है तथा आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण एवं औद्योगिक अवसंरचना का विकास किया जाना है। इन परियोजनाओं से सात निश्चय–3.0 के उद्देश्य यथा – राज्य में सतत् आर्थिक विकास को गति, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, घरेलू एवं विदेशी निवेश, राज्य का सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना और कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाना आदि की पूर्ति हो सकेगी। पूर्व में राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मंत्रिपरिषद् की दिनांक–12.07.2024 की बैठक में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उपर्युक्त उदेश्यों की पूर्ति एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास के लिये आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकार की गारंटी पर वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु निम्नाकिंत शर्तों के अधीन अधिकृत किया गया है :–

(i) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) के वित्त पोषण प्राप्त करने पर आयडा बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।

(ii) वित्तीय विश्लेषण (Financial Anylysis) के अन्तर्गत

(क) Project wise IRR (Internal rate of return) calculation

(ख) Debt Service coverage ratio

(iii) Projectwise Lender details

(iv) Rate of Interest

(v) Repayment schedule

(vi) Escrow Account का संधारण– उपयोगकर्त्ता शुल्क एवं प्राप्त ऋण के लिये Escrow Account का इस्तेमाल किया जायेगा। उपयोगकर्त्ता शुल्क से प्राप्त राशि प्राथमिकता के रूप में ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी में इस्तेमाल होगा।

(vii) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267 दिनांक–23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत गारंटी शुल्क लिये गये ऋण का न्यूनतम 0.25 प्रतिशत एवं पूर्व वर्ष के अवशेष ऋण का 0.25 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष राजकोष में जमा किया जायेगा।

(vii) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267 दिनांक–23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु ऋण के 80 प्रतिशत की अधिसीमा में गारंटी प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त के आलोक में राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर रू0 25,000.00 करोड़ (रू0 पच्चीस हजार करोड़) का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. उक्त पर दिनांक–01.07.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

**(डॉ0 प्रेरणा सिंह)**

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–5/सरकार (भूमि अधिग्रहण)–15/2026

प्रतिलिति :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–5/सरकार (भूमि अधिग्रहण)–15/2026

प्रतिलिति :– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–5/सरकार (भूमि अधिग्रहण)–15/2026

प्रतिलिति :– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–5 / सरकार (भूमि अधिग्रहण)–15 / 2026

प्रतिलिति :– निदेशक, एम0एस0एम0ई0 / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / उद्योग निदेशक / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / उद्योग विभाग के सभी निगम / प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–5 / सरकार (भूमि अधिग्रहण)–15 / 2026

प्रतिलिति :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–5 / सरकार (भूमि अधिग्रहण)–15 / 2026

प्रतिलिति :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

ह0 / –
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3515 /पटना, दिनांकः– 13/07/26

सं0सं0–5 / सरकार (भूमि अधिग्रहण)–15 / 2026

प्रतिलिति :– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/07/26
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।